(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
हनुमानराम पुत्र चैनाराम जाति जाट, निवासी अर्जुन का तला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		अणछी पत्नी रेवन्ताराम जाति जाट, निवासी अर्जुन का तला तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (03)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) **मुकदमा नम्बर 25/2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.01.2024	प्रार्थी अधिवक्ता श्री बृजमोहन कुमावत द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। अंतरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 की सयुंक्त खातेदारी के खेत मौजा अर्जुन का तला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 160, 161, 217, 221 रकबा क्रमशः 0.0486, 1.6349, 0.1538, 5.3661 हैक्टेयर एवं मौजा डलानाडा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 344 रकबा 5.9003 हैक्टेयर के आये हुए है। जिसमें प्रार्थी का खातेदारी हिस्सा 1/2 आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में खातेदारी हिस्से पृथक दर्ज है तथा खातेदारान् के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। विवादित आराजी में प्रार्थी के अपने हिस्सा की भूमि में टयूबवेल खुदा हुआ है तथा रबी की फसल बोई हुई सिंचित भूमि होने से बेशकीमती भूमि है। प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भूमि पर मौके पर काबिज काश्त होने तथा रेकर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। विप्रार्थीगण उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि में बिना विभाजन करवाये प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी कर भूमि अजनबी क्रेताओं को बैचान करने पर आमादा है, जबकि संयुक्त खातेदारी भूमि में विप्रार्थीगण को विभाजन पूर्व ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने एवं खातेदारी हिस्से पृथक–पृथक खुले हुए होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी में विभाजन पूर्व भूमि का बैचान किया जाता है तो इससे संयुक्त खातेदारी भूमि में अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों से भी महरूम रहना पड़ेगा एवं मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतरिम/आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा अर्जुन का तला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 160, 161, 217, 221 रकबा क्रमशः 0.0486, 1.6349, 0.1538, 5.3661 हैक्टेयर तथा मौजा डलानाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 344 रकबा 5.9003 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के हक हिस्सा एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 21.02.24 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	960-962 31.01.24

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:51:23 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ...	... में जारी हु...
19.12.25	प्रार्थी की ओर से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तहरीर सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकारान् के मध्य सहमति होने से विपक्षीगण के विरुद्ध जारी स्थगन को खारिज करने का निवेदन करने पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील को सुना एवं पत्रावली में प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि वर्तमान में पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा होने पर पूर्व में जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा को विड्रोल समाप्त करने का निवेदन किया गया है। अतः पक्षकारान् के मध्य सहमति हो जाने से पूर्व में दिनांक 15.01.2025 को जारी एकपक्षीय स्थगन को जरिये विड्रो खारिज किया जाकर समाप्त किया जाता है तथा पत्रावली जरिये विड्रो खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	T.I. खारिज फरमाई जावे। 19.12.25

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:51:23 IST
Reason: SelfAttested